

झारखंड सरकार,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

पत्रांक-

4995

राँची / दिनांक-

6/11/17

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
झारखंड, राँची।

विषय :-

झुमरी तिलैया शहरी पुनर्गठन जलापूर्ति योजना तथा कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजनाओं को संबंधित स्थानीय निकायों को योजना के अग्रत्तर संचालन एवं रख-रखाव के लिए निर्देशित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झुमरी तिलैया का ज्ञापांक-2562 दिनांक 02.11.17.

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के क्रम में कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष, 2015 में की गयी समीक्षा के क्रम में जिसमें दोनों विभागों के माननीय विभागीय मंत्री भी उपस्थित थे, यह निर्णय लिया गया था कि नगर विकास विभाग द्वारा शहरी जलापूर्ति योजनाओं का रख-रखाव नगर निकाय के अधीन हैंड ओवर लेकर करना सुनिश्चित किया जाए। इस क्रम में लगभग 17 नगर निकायों ने यह जिम्मेवारी स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी भी कई नगर निकायों में यह संभव नहीं हुआ है, जिसमें प्रसंगाधीन नगर निकाय के अलावा हजारीबाग, आदित्यपुर, मेदिनी नगर, बोकारो, चाईबासा, चक्रधरपुर, गढ़वा, बासुकीनाथ, गुमला, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामताड़ा इत्यादि में भी नगर निकाय द्वारा हैंड ओवर नहीं लिया गया है। अद्यतन 22 नगर निकाय राँची/धनबाद सहित हैंड ओवर होना है। राँची एवं धनबाद में जेनूरम का कार्य अभी चालू है। इसके शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है। वर्तमान में विभाग ने काफी कैपिबिलिटीज (Capibilities) विकसित किया है। अद्यतन नगर विकास विभाग पूर्णतः तैयार भी है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि ऐसे नगर निकाय क्षेत्र जहां पर योजनाएं पूर्णतः हस्तगत होने के लिए तैयार हैं एवं कोई कार्य लंबित नहीं रह गया है, वैसी नगर निकायों को हस्तांतरण प्राप्त कर संचालन करने के लिए निर्देशित करना चाहेंगे। मुख्यतः आदित्यपुर, बुण्डू, हजारीबाग, चक्रधरपुर, गुमला, राजमहल, जामताड़ा, मधुपुर, बासुकीनाथ, चतरा, कोडरमा, झुमरी तिलैया, कतरास को हैंड ओवर लेकर संचालन प्रारंभ करने का निर्देश देना चाहेंगे। वित्तीय वर्ष 2018-19 से अवश्य संचालन संबंधित नगर निकाय प्रारंभ करे। तदनुसार बजटीय उपबंध भी कर ले। शीघ्र हैंड ओवर लेकर अपने कार्य इसी वित्तीय वर्ष से 2017-18 में ही प्रारंभ करना श्रेयष्कर होगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-

4995

रांची, दिनांक-

6/11/17

प्रतिलिपि :-संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता (यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया अद्यतन ब्यौरा तैयार कर लिया जाए।

4/8/11/17
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-

4995

रांची, दिनांक-

6/11/17

प्रतिलिपि :-अभियन्ता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, रांची/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रक्षेत्र, रांची एवं दुमका/अभियन्ता प्रमुख के प्रावैधिक सचिव/अधीक्षण अभियन्ता (यो0)/अवर सचिव, प्रशाखा-06 एवं 07, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया अपनी लिस्ट अपडेट करें कि नन प्लान में अद्यतन कौन-कौन स्कीम है तथा प्लान में कौन-कौन है। संभवतः 21 योजनाएं क्रमशः 10 एवं 11 नन प्लान/प्लान में विभाग के अधीन हैं। आवंटन/उपवांटन के पूर्व सत्यापन करें।

4/8/11/17
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-

4995

रांची, दिनांक-

6/11/17

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/11/17
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-

4995

रांची, दिनांक-

6/11/17

प्रतिलिपि:-सभी उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, झारखंड/CEOs/EDs-ULB को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/8/11/17
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-

4995

रांची, दिनांक-

6/11/17

प्रतिलिपि:-श्री नितिन कुमार, आई0टी0 कॉर्डिनेटर, पी0एम0यू0 को ऑन-लाईन करने हेतु प्रेषित।

4/8/11/17
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

सचिव

(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

राज्य सरकार के प्रधान सचिव